पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के पचास वर्ष

पासपोर्ट, यात्रा को इंगित करता है। जब कोई विदेश में किसी जगह की यात्रा का स्वप्न देखता है तो उसके मस्तिष्क में नीले पासपोर्ट का चित्र कौंध जाता है। भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ होने तक ऐसा नहीं था यद्यपि हमारे पूर्वजों ने सदियों से सुदूर एवं विस्तृत यात्राएं की थीं।

ब्रिटिश-भारतीय पासपोर्ट का उपयोग 1947 में भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात समाप्त कर दिया गया। 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय जारी किए जाने वाले पासपोर्टों की संख्या प्रतिवर्ष 25,000 के आसपास थी। संघ सूची में होने के कारण पासपोर्ट संबंधी कार्य विदेश मंत्रालय को आवंटित किया गया। 1949 में पासपोर्ट नियंत्रण मैनुअल को अद्यतित किया गया। भारतीय पासपोर्ट नियम 1950 ने भारतीय पासपोर्ट नियम 1921 का स्थान लिया।

भारत में पासपोर्ट जारी किये जाने के इतिहास में 24 जून, 1967 का दिन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसी दिन राष्ट्रपति महोदय द्वारा पासपोर्ट अधिनियम 1967 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। पासपोर्ट अधिनियम ने पासपोर्ट एवं यात्रा दस्तावेजों को जारी किये जाने एवं भारतीय नागरिकों के भारत से प्रस्थान संबंधी नियमन के लिये एक सुदृढ़ कानूनी ढांचा प्रदान किया। साथ ही यह उक्त कार्य के लिये आवश्यक मशीनरी भी प्रदान करता है। इस संदर्भ में, 1966 में सतवंत सिंह साहनी बनाम भारतीय संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक पथ प्रवर्तक निर्णय दिया। इस निर्णय के पूर्व, पासपोर्ट को मुख्यतया वैदेशिक संबंधों के संचालन हेतु सरकार द्वारा इसकी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में जारी किया गया एक दस्तावेज माना जाता था। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के निर्णय के द्वारा यह स्थापित किया कि विदेश यात्रा का अधिकार एक व्यक्ति की वैयक्तिक स्वतन्त्रता का हिस्सा है जिससे उसे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से, वंचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार एक अध्यादेश लागू करना आवश्यक हो गया जिसका स्थान आगे चलकर पासपोर्ट अधिनियम, 1967 द्वारा लिया गया।

1978 में 9 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय थे। दिल्ली के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अंतर्गत दिल्ली के अतिरिक्त राजस्थान एवं जम्मू और कश्मीर राज्य आते थे। 1990 तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों की संख्या 22 तक पहुँच गई। नई शताब्दी के आते-आते यह संख्या 28 हो गई। देश में पासपोर्ट धारकों की संख्या बढ़कर 1.8 करोड़ तक हो गई। अत्यधिक विलम्ब को देखते हुए, पासपोर्ट को समयबद्ध तरीके से प्रदान करने हेतु एक फास्ट-ट्रैक व्यवस्था जिसे 'तत्काल योजना' कहा गया, लागू की गई।

तकनीकी मोर्चे पर, 1990 के दशक में पासपोर्ट कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण आरंभ किया गया। इंटरनेट पर पासपोर्ट जानकारी सेवा (पी. आई.एस.ओ.एन.) लागू की गई और वर्ष 2001 में हस्तलिखित पासपोर्टों के

स्थान पर मशीन द्वारा पढे जा सकने योग्य पासपोर्ट बनाने की शुरुआत हुई। मंत्रालय द्वारा, देशभर में 463 जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठों और 1095 स्पीड पोस्ट केन्द्रों के माध्यम से पासपोर्ट आवेदन जमा किये जाने की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही पासपोर्ट आवेदन जमा करने को विकेन्द्रीकृत भी किया गया। 2009 के अंत तक एक दशक में पासपोर्ट कार्यालयों की संख्या 28 से बढ़कर 37 हो गई जो अब बढ़कर 38 हो चुकी है।

पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट (पी.एस.पी.), इसके सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) प्रणाली के सफल कार्यान्वयन के साथ, भारत में पासपोर्ट जारी किये जाने के इतिहास में आमूल परिवर्तन रहा। नागरिक सेवा की पूरी प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकीकृत, मानकीकृत और स्वचालित हो गई है। सेवाएँ, सभी पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकरणों एवं लगभग 91 पासपोर्ट सेवा केन्द्रों को एकीकृत करने के साथ साथ बाहरी हितधारकों, यथा- उत्प्रवासन, पुलिस, भारतीय डाक, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, और विदेश स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों को पहुंच प्रदान करके एक देशव्यापी परस्पर जुड़े हुए तंत्र द्वारा प्रदान की जाती हैं।

देशवासियों को बड़े पैमाने पर पासपोर्ट संबंधी सेवाएँ प्रदान करने और वृहत्तर क्षेत्र तक पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विदेश मंत्रालय और भारतीय डाक विभाग (डी.ओ.पी.) ने देश के प्रधान डाकघरों को डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के तौर पर प्रयोग करने का निश्चय किया है। विदेश मंत्रालय और भारतीय डाक विभाग के इस सामूहिक उपक्रम के लिए पायलट प्रोजेक्ट का उदघाटन 25 जनवरी 2017 को कर्नाटक के मैसूर एवं गुजरात के दाहोद में किया गया था। पासपोर्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदक अब मुलाक़ात का समय आरक्षित कर आगे की औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए पासपोर्ट जारीकरण के पूर्व पासपोर्ट सेवा केंद्र में की जाने वाली औपचारिकताओं के लिये प्राधिकृत डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पी.ओ.पी.एस.के.) में जा सकते हैं। दो चरणों में 235 पी.ओ.पी.एस.के.; प्रथम चरण में 86 और द्वितीय चरण में 149 पी.ओ.पी. एस.के. खोले जाने का निश्चय किया गया है। प्रथम चरण के पी.ओ.पी. एस.के. में से 52 प्रचालित कर दिये गए हैं।

डाक विभाग पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के पचास वर्ष पूरे होने अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभारः-

मूलपाठ	:	प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री पर आधारित
डाक टिकट/प्रथम दिवस आवरण/ विवरणिका	:	श्री ब्रह्म प्रकाश
विरूपण	:	श्रीमती अलका शर्मा